



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

No. E(NG)II/2021/RC-4/1

New Delhi, dated 03.04.2023

The General Manager (P),
All Zonal Railways.
(As per standard mail list)

Sub: Engagement of Ex-Servicemen as Gatemen on Contract Basis.

Ref: Board's letter No. E(NG)II/2021/RC-4/1 dated 07.10.2022 (RBE No.122/2022).

In terms of Board's letter cited under reference, the scheme for engagement of Ex-servicemen as Gatemen (both Civil & Traffic departments) on contract basis was last extended up to 31.03.2023.

2. The aforesaid scheme has been reviewed and it has now been decided to extend the scheme of engagement of Ex-servicemen on contract basis against the existing vacancies for a further period of six months beyond 31.3.2023 i.e. up to 30.09.2023 as per extant terms and conditions. Engagement should be made in the category of Gateman only. The Railway wise quota of such engagement shall be limited to 20719 (twenty thousand seven hundred nineteen only) numbers as indicated in the enclosed "Annexure".
3. It may be ensured that the engagement of Ex-servicemen as Gatemen on contract basis is mandatorily done through GeM only.
4. It is reiterated that the above engagements should be phased out gradually with the joining of regular employees. This should be closely monitored at zonal level.

(Umesh Kumar Tiwari)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

No. E(NG)II/2021/RC-4/1

New Delhi, dated 03.04.2023

Copy to:

- i. The Principal Financial Advisor, All Indian Railways/PUs.
- ii. The Principal Director of Audit, All Indian Railways/PUs.
- iii. The Dy. Comptroller and Auditor General of India (Rlys) Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance/Railway Board

Copy to: (i) PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to: CRB & CEO, M/Finance, M/Infra, M/T&RS, M/O&BD, DG/HR, PED/Staff.
(ii) F(E) Spl. Branch of Railway Board

Annexure to Railway Board's letter No. E(NG)II/2021/RC-4/1 dated 03.04.2023

(RBE No.48/2023)

S.No.	Zonal Railway	Total allotment of ex-Serviceman as Gateman(Civil) on contract basis	Total allotment of ex-Serviceman as Gateman(Traffic) on contract basis	Total allotment of ex-Servicemen as Gatemen (Civil + Traffic) on contract basis
1	CR	992	528	1520
2	ER	0	117	117
3	ECR	522	765	1287
4	ECoR	350	277	627
5	NR	1404	695	2099
6	NCR	0	616	616
7	NER	726	0	726
8	NFR	1443	690	2133
9	NWR	815	598	1413
10	SR	1847	877	2724
11	SCR	300	390	690
12	SER	563	503	1066
13	SECR	0	472	472
14	SWR	674	201	875
15	WR	2184	1146	3330
16	WCR	663	361	1024
Grand Total		12483	8236	20719


03/04/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 48/2023

सं. ई(एनजी)II/2021/आरसी-4/1

नई दिल्ली, दिनांक: 03.04.2023

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें,
(मानक डाक सूची के अनुसार)।

विषय: संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन नियोजन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 07.10.2022 का पत्र सं. ई(एनजी)II/2021/आरसी-4/1 (आरबीई सं.122/2022)

बोर्ड के संदर्भाधीन समसंख्यक पत्र के मामले में, संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन (सिविल एवं यातायात विभाग, दोनों में) नियोजन की योजना को पिछली बार 31.03.2023 तक बढ़ाया गया था।

2. उपर्युक्त योजना की समीक्षा की गई है एवं अब मौजूदा रिक्तियों पर संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों के नियोजन की योजना को मौजूदा निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार 31.03.2023 से आगे छह माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 30.09.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नियोजन केवल गेटमैन कोटि में की जाए। रेल-वार इस प्रकार के नियोजन का कोटा संलग्न "अनुलग्नक" में यथा इंगित संख्या 20719 (मात्र बीस हजार सात सौ उन्नीस) तक सीमित होगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों का बतौर गेटमैन नियोजन अनिवार्यतः GeM के द्वारा की जाए।

4. यह दोहराया जाता है कि जब वर्ष के दौरान नई नियुक्तियों से नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो तब उपर्युक्त नियोजन को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाए। इसकी क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर गहन निगरानी की जाए।



(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त निदेशक/स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- i) प्रधान वित्तीय सलाहकार, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
- ii) लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
- iii) भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेल) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- i) सीआरबी एवं सीईओ, सदस्य/वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/ कर्षण एवं रोलिंग स्टॉक, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, महानिदेशक/मानव संसाधन, प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्मिक के पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस/पीपीएस/पीएस/पीए।
- ii) रेलवे बोर्ड की एफ (ई) स्पे. शाखा।

दिनांक 03.04.2023 के रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(एनजी)II/2021/आरसी-4/1

(आरबीई सं. 48/2023) का अनुलग्नक

क्रम सं.	क्षेत्रीय रेलें	संविदा के आधार पर बतौर गेटमैन (सिविल) पूर्व सैनिकों का कुल आबंटन	संविदा के आधार पर बतौर गेटमैन (यातायात) पूर्व सैनिकों का कुल आबंटन	संविदा के आधार पर बतौर गेटमैन (सिविल+यातायात) पूर्व सैनिकों का कुल आबंटन
1	मध्य रेलवे	992	528	1520
2	पूर्व रेलवे	0	117	117
3	पूर्व मध्य रेलवे	522	765	1287
4	पूर्व तट रेलवे	350	277	627
5	उत्तर रेलवे	1404	695	2099
6	उत्तर मध्य रेलवे	0	616	616
7	पूर्वोत्तर रेलवे	726	0	726
8	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1443	690	2133
9	उत्तर पश्चिम रेलवे	815	598	1413
10	दक्षिण रेलवे	1847	877	2724
11	दक्षिण मध्य रेलवे	300	390	690
12	दक्षिण पूर्व रेलवे	563	503	1066
13	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	0	472	472
14	दक्षिण पश्चिम रेलवे	674	201	875
15	पश्चिम रेलवे	2184	1146	3330
16	पश्चिम मध्य रेलवे	663	361	1024
कुल योग		12483	8236	20719

विषय:- हिन्दी अनुवाद के लिए अनुरोध।

हिन्दी(जी) शाखा कृपया निचे दिए गये निम्नलिखित विवरण के साथ सलग्न 2 पत्रों का हिन्दी में अनुवाद करे।

सं.	पत्र संख्या	दिनांक
1	E(NG)II/2021/RC-4/1	03.04.2023
2	E(NG)II/2020/SB/5	05.04.2023

गोविन्द
11/04/23

अनुभाग अधीकारी-3/ई(एनजी)II

हिन्दी(सामान्य)

हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है।

11/04/23

लक्ष्मी. सिन्हा/हिन्दी शाखा